न्यायालय श्रीमान म0प्र0राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर

प्रकरण कं: /09 निगरानी - 1193-I/09

सुल्तानखॉ पिता रसुलखॉ निवासी
सुभाष मार्ग, बड़ोद तहसील बड़ोद
जिला शाजापुर म0प्र0
.....आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा तेहसीलदार
महोदय, बड़ोद जिला शाजापुर
.....अनावेदकगण

पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र अर्न्तगत धारा 50 भू0रा0सं0

माननीय महोदय,

आवेदक अधीनस्थ योग्य न्यायालय **अपर आयुक्त महोदय उज्जैन** संभाग केन्द्र उज्जैन के प्रकरण कं: 101/07.08 अपील में पारित आदेश **दिनांक 11.08.09** से असंन्तुष्ट एवं दुखित होकर निम्न कारणों के आधार पर पुनरीक्षण अन्दर अवधि प्रस्तुत करता है।

1. यह कि अधीनस्थ योग्य न्यायालय का आदेश जैर निगरानी विधि विधान एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

2. यह कि सर्वप्रथम पटवारी मौजाा द्वारा जो सीमांकन किया गया उसकी कोई सूचना आवेदक को नहीं दी गई तथा आवेदक की अनुपस्थिति में सीमांकन किया गया, इसलिये पटवारी मोजा द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई वह अवैध है इस बिन्दु पर विचार किए बगैर जैर निगरानी आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने महान वैधानिक त्रुटि की है।

3. यह कि विवादित भूमि आवेदक ने रजिस्टर्ड बिक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की है तथा भवन का निर्माण करने बावत् नगर पंचायत बड़ोद से विधिवत अनुमति प्राप्त कर निर्माण किया है तथा आवेदक का निर्माण क्रय की गई भूमि पर ही है परन्तु उसके उपरांत भी आवेदक को अतिक्रमक मानकर बेदखल करने व 500/रूपये अर्थदण्ड आरोपित किया इस बिन्दु पर विचार किए बगैर जैर निगरानी आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने महान वैधानिक त्रुटि की है।

4. यह कि विवादित भूमि पर मकान नगर पंचायत बड़ोद की सीमा में है ऐसी स्थिति में धारा 248 भू0रा0सं0 के प्रावधान उस पर लागू नहीं होते इस प्रकार से अधीनस्थ

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 1193–एक/2009 जिला शाजापुर

सुल्तानखां विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22–3–2016	आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण कमांक 101/2007–08/अपील में पारित आदेश दिनांक 30–12–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। 2/ आवेदक अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि जिस भूमि पर धारा 248 की कार्यवाही की गई है उस भूमि को आवेदक ने रजिस्टर्ड विकय पत्र के माध्यम से कय की है। विधिवत डायवर्सन कराया है एवं भवन निर्माण की अनुमति लेने के उपरांत मकान बनाया है। तहसीलदार द्वारा भूमि को शासकीय मानकर अतिकमण हटाने की कार्यवाही त्रुटिपूर्ण है। यह भी कहा कि आवेदक का वादोक्त भूमि पर मकान बना हुआ है जबकि तहसीलदार ने भूमि से बेदखल करने की कार्यवाही कर दी है। 3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। प्रकरण में संलग्न आदेश की सत्यप्रतिलिपि के अवलोकन करने के उपरांत प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि यदि भूमि रजिस्टर्ड विकय पत्र से भूमि कय की गई है तो आवेदक अपने भूमि का विधिवत सीमांकन कराये जिससे स्पष्ट हो सके कि बेदखली की कार्यवाही शासकीय भूमि पर अथवा आवेदक की भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि पर की गई है। वास्तव में	

आवेदक को किस भूमि का विक्रय हुआ है यह विक्रय पत्र से ज्ञात हो सकता है। यदि आवेदक द्वारा विधिवत सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता तो तहसीलदार उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि का नियमानुसार समस्त हितबद्ध पक्षकारों को सूचना देकर सीमांकन करें और यदि शासकीय भूमि पर आवेदक का अतिकमण पाया जाता है तो नियमानुसार अतिकमण हटाने की कार्यवाही करें। प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार बड़ोद को प्रत्यावर्तित किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य